

फर्द अहकाम

कलपाण

बनाम चर्मापाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 133/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	क्रिम न्यायालय राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र संख्या	दिनांक या कार्यवाही
	19/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता उपस्थित। मूलवाद में अप्रार्थी जे. 2 लगा 22 की लगभग तारीख मानी जाकर एक तरफ कार्यवाही अगल में लाई जा चुकी है अतः इस प्रार्थना पत्र में भी अप्रार्थी सं. 2 लगा 22 के विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही अगल में लाई जा चुकी है / लाई जाती है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा. पत्र का जवाब नही देकर स्वीची बद्ध करने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अध्यायी निषेधाज्ञा पर बद्ध चुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलवध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौरान बद्ध जादिए तर्कों पर मनन करने के उपरान्त उचित समझते हुये उभयपक्षों की जरिये अध्यायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आरपी खसरा नं. 86/1 रकबा 7.9664 हेक्टर स्थित ग्राम</p>		

फर्द अहकाम

कान्याव बनाम धर्मपाल


आलय : सहायक कलेक्टर, बस्सी

आद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 133/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

कुन्दनपुरा प-ह. करोगाट मू-अ.मि.
तूंगा तह. तूंगा जि. जयपुर पर
मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक
मोके एवं रिचार्ड की प्रथास्थिति बनाये
रखे।

पञ्जावली कैलल कुमार होकर
काद तकमील दायिल दफ्तर होकर
नम्बर से कम है।


सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला - जयपुर ग्रामीण